रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1073/2026/529/22-2-2026-17(1267)/2023

लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारी बंदी निकेतन लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी रितेश कुमारी (बन्दी संख्या-2221) पत्नी श्री ओम नारायण, निवासी-निरालानगर, थाना-रसूलाबाद, कानपुर देहात, हाल मकान-जयभगवान शर्मा-69, गली नं0-02 सेक्टर-09 शिवपुरी, थाना-विजयनगर, जनपद-गाजियाबाद, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-1053/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-05, गाजियाबाद के दण्डादेश दिनांक 01.12.2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 14.09.2022 तक अपरिहार 11 वर्ष, 04 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 13 वर्ष, 07 माह, 05 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त महिला बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-1073/2026/529(1)/22-2-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।

3- पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद।

4- अधीक्षक/कारापाल, नारी बंदी निकेतन, लखनऊ।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in